"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2007—ज्येष्ठ 25, शक 1929

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 28 मई 2007

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 694/प्र. 1/अ.वि.अ./2007.—चूंकि महासचिव श्री अनू कुमार एवं साथी द्वारा "शैक्षणिक एवं धर्मार्थ न्यास" 44 मिनी मार्केट सिविक सेन्टर भिलाई जिला दुर्ग (छ. ग.) ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 का धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गयी न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 18-6-07 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने का सुझाव देने का विचार रखता हो, इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं तारन प्रकाश सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग एवं पंजीयक लोक न्यास दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 18-6-07 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	"शैक्षणिक एवं धर्माथ न्यास" 44 मिनी मार्केट सिविक सेन्टर भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.)
(2)	संपत्ति	:	5000.00 (रु. पांच हजार मात्र) संग्रहित राशि

तारन प्रकाश सिन्हा,
पंजीयक एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

वन मण्डलाधिकारी, उदन्ती वनमण्डल, गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

गरियाबन्द, दिनांक 19 मई 2007

क्रमांक/28.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2007 तेन्दूपत्ता संग्रहण काल हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर द्वारा नियुक्त तेन्दूपत्ता क्रेता मे. शाहा ब्रदर्स बिड़ी लिव्स कम्पनी धुलियान को वर्ष 2007 सीजन में लाट क्रमांक 363 चिखली/पीपलखुटा में संग्रहित तेन्दूपत्तों का परिवहन करने बाबत इस वनमण्डल से जारी किया गया परिवहन अनुज्ञापत्र पृ. क्रमांक 2813 पृष्ठ क्रमांक 1 से 50 तक दो प्रतियों में (पृष्ठ क्रमांक 1 से 5 उपयोग किया गया एवं 6 से 50 कोरा) दिनांक 16-05-2007 को समिति के द्वारा बनाये गये कार्यालय ग्राम सरनाबहाल से किन्हीं अज्ञात चोरों के द्वारा जला दिया गया है अथवा चोरी कर लिया गया है जो आज दिनांक तक नहीं मिला है. इसकी सूचना पुलिस थाना देवभोग जिला रायपुर को दी जा चुकी है. एफ. आई. आर. (प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक) पृष्ठ क्रमांक 73/07 दिनांक 17-05-2007 संलग्न है.

वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जला हुआ अथवा चोरी हुआ परिवहन अनुज्ञापत्र 1 क्रमांक 2813 को वन मण्डलाधिकारी के स्टॉक से अपलेखित किया जाता है.

उपरोक्त परिवहन अनुज्ञा-पत्र 1 यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम थाने में अथवा वनमण्डल कार्यालय में अथवा वन परिक्षेत्र कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उक्त परिवहन अनुज्ञापत्र को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग में लाते पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

उक्त गुमशुदा परिवहन अनुज्ञापत्र की कीमत रुपये 12.98 (बाहर रुपये अन्ठान्वे पैसे) मात्र क्रेता मे. शाहा ब्रदर्स बीडी लिव्हस कम्पनी, धुलियान से वसूल करने के आदेश जारी किये जाते हैं. साथ ही परिवहन अनुज्ञापत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख को सुरक्षित न रखते हुए शासकीय कार्य में असावधानी बरतने बाबत उन्हें भविष्य हेतु चेतावनी दी जाती है.

एच. एल. रात्रे,
वन मण्डलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.